

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



बच्चू सिंह
रीकदिया
कोषागार-हाथरस

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैन्डिंग

CS 485460

हम कि सरोज देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह, निवासी-ग्राम जमालपुर परखम मथुरा व हाल निवासी-ए 67 मोतीकुंज एक्टेसन, तहसील-मथुरा, जिला मथुरा। प्रथम पक्ष

श्री वसुंधरा रियल एस्टेट्स, ए-67, मोतीकुंज एक्सटेंशन, मथुरा द्वारा भागीदार मनोज कुमार यादव पुत्र श्री अमर सिंह यादव, निवासी म0नं0-01, ग्लोरी गार्डन, मथुरा रोड, हाथरस। द्वितीय पक्ष

जो कि भूमिधरी खाता सं0 258, गाटा संख्या 501/2, कुल रकवा 4.399 हे0 में से रकवा 0.830 हे0 स्थित ग्राम-हतीसा भगवन्तपुर, तहसील-हाथरस, जिला-हाथरस का मैं प्रथम पक्ष मालिक व कर्षण हूँ। उक्त रकवे के संबध में मैं प्रथम पक्ष को सर्वाधिकार प्राप्त हैं। प्रथम पक्ष का ही कब्जा है, कोई अन्य हिस्सेदार आदि प्रथम पक्ष के हिस्से में नहीं है। प्रथम पक्ष अपनी जमीन को कॉलोनी बनाकर बेचना चाहती है तथा कॉलोनी बनाकर बेचने में प्रथम पक्ष अच्छी कीमत प्राप्त कर सकती है। प्रथम पक्ष को कॉलोनी बनाने का ज्ञान व अनुभव नहीं है और द्वितीय पक्ष को कॉलोनी बनाने का ज्ञान व अनुभव है। पक्षकारान जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेचने को आर्थिक व व्यावसायिक रूप से हितकर मानते हैं। अतः हम पक्षकारान ने खूब सोच-समझकर साथ मिलकर जमीन पर कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है तथा यह दस्तावेज तहरीर करके हस्ताक्षरित किया है।

हम पक्षकारान के मध्य निम्न शर्तें तय हुई हैं:

1. रकवे की पैमाइश कराकर कॉलोनी का विन्यास मानचित्र तैयार कराकर उसका विकास कार्य का आकलन किया जायेगा। विकास कार्य की कीमत का आकलन कॉलोनी के आकलन के अनुसार किया जायेगा।

सरोज

M/S VASUNDHARA REAL ESTATES

Partner
PARTNER

(Continue -2)

2. द्वितीय पक्ष इस जमीन पर कॉलोनी बनायेगा । इसमें आवासीय प्लॉट होंगे जिनको द्वितीय पक्ष बेचने को स्वतंत्र होगा ।
3. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से विकास कार्य कराने की वावत रू0 45,00,000/- (पैतालिस लाख मात्र) प्राप्त करेगा ।
4. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से विकास कार्य की तय रकम 36 माह में प्राप्त करेगा ।
5. दोनों पक्षों में यह करार हुआ है कि प्रथम पक्ष भूमि सम्पूर्ण अथवा खण्ड-खण्ड में बैनामा द्वितीय पक्ष के हक में या द्वितीय पक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के हक में स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से समय-समय पर करता रहेगा । सुचारु कार्य में कोई बाधा न आयें इसलिये एक मुख्तारनामा द्वितीय पक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के नाम प्रथम पक्ष पंजीकृत कर देगा ।
6. द्वितीय पक्ष जमीन की आबादी घोषित कराये, प्लॉट बुकिंग करे, बैनामे कराये, भुगतान प्राप्त करे, रसीद दे, नक्शा स्वीकृत कराये, बोर्ड लगवाये, विज्ञापन दे, विकास कार्य कराये, सड़क, पार्क आदि बनाये, उ0प्र0पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से लोड स्वीकृत कराये एवं कॉलोनी के विद्युतीकरण का कार्य कराये या कोई भी यथावश्यकता कार्य करे ।
7. कॉलोनी बनाने के समस्त विकास कार्य पर आये खर्चे तथा कॉलोनी में पर किसी भी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व पूर्ण रूप से द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।
8. द्वितीय पक्ष अपनी तय शुदा रकम प्रथम पक्ष से प्राप्त करने के बाद भी तय शर्तें मानता रहेगा तथा प्रजिस कार्य में द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष से सहयोग करने की कहेगा, प्रथम पक्ष करेगा ।
9. प्रथम व द्वितीय पक्ष पर मैमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की शर्तें समान रूप से लागू होंगी । अतः यह दस्तावेज आज दिनांक 21.09.2020 को स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी के बहकाये तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे ।



सरोज

प्रथम पक्ष

M/S VASUNDHARA REAL ESTATES

PARTNER

द्वितीय पक्ष

गवाह:-

1. हरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा

पता: गणपति नगर ओढपुरा हाथरस ।

[Signature]

2. अमन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री इन्दर चन्द्र अग्र0

पता: गली रग्गा पाठक हाथरस ।

[Signature]

सरोज शर्मा

Shri/Smt./K...
Who is identified by Shri/Smt./K...
Sworn and signed before me today on...
And Charged Fees Rs...

10727
SAMLESH KISHORE
NOTARY
HTS D.M. Nagar
R. P. ENTELA
22-3-2021